न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 27/2022 (अपील)

GCMS No. 2022/67

अनवान

1. श्रीमती हाजू पत्नी स्व. श्री नाथुलाल मीणा निवासी बंजारिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री रमेश चन्द्र मीणा पुत्र श्री अमरा मीणा निवासी बंजारिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाडा जिला—उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री प्रकाश पालीवाल, अपीलान्ट अधिवक्ता।
2. श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता रेस्पो. 2 ।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरुद्ध तहसीलदार खेरवाडा के आदेश क्रमांक संख्या एफ.1( )राजस्व/95 दिनांक 19.06.95

* निर्णय *

दिनांक— 30-06-2023

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध रूपान्तरण आदेश क्रमांक एफ.1( ) राजस्व/95 दिनांक 19.06.1995 तहसीलदार खेरवाडा, जिला उदयपुर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बजारिया तहसील खेरवाडा में स्थित आराजी संख्या 696 रकबा 0.0650 हे. भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रत्यर्थी व अपीलार्थी के पुर्वाधिकारी श्री नाथूलाल जी के नाम से दर्ज चली आ रही है जो कि मौरूसी जायदाद हो पुश्तैनी है। उक्त भूमि को लेकर नाथूलाल, रमेशचन्द्र (रेस्पोडेन्ट) तथा अपीलार्थी की दादी ने संपरिवर्तन हेतु पत्रावली पेश की जबकि उक्त भूमि का संपरिवर्तन कभी आवश्यक नहीं रहा। उक्त संपरिवर्तन रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी के पिता तथा दादी हाजु को शामलाती करके करवा लिया जो कि धोखे से करवाया गया था कारण कि उक्त भूमि के संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। उक्त भूमि का रूपान्तरण आदेश सन् 1995 का है तथा उक्त संपरिवर्तन आदेश की कलम संख्या 11 के उपखण्ड ।। अनुसार संपरिवर्तित भूमि का आवासीय उपयोग सुनिश्चित करना था जबकि उक्त भूमि आज भी कृषि उपयोग में प्रयुक्त होती चली आ रही है जिस पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त आदिनांक चला आ रहा है। उल्लेखित शर्त के अपालन के कारण अपीलाधीन आक्षेपित संपरिवर्तन आदेश व्यपगत हो चुका है इस आशय की घोषणा करवाई जाना न्यायहित में [illegible] है जिसमें अपीलार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग कर सके। अवलोकनार्थ सन् 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2020 तथा 2022 के गुगल इमेजेज की रंगीन प्रतियां संलग्न है जो दर्शाते है कि संपरिवर्तित भूमि भाग आज भी कृषि उपयोग में चली आ रही है और वादग्रस्त भूमि का आज दिनांक तक भूमि का संपरिवर्तन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:18 IST
Reason: SelfAttested

आदेश की पालना में आवासीय प्रयोग नहीं किया गया है। अपीलाधनी आक्षेपित संपरिवर्तन आदेश की जानकारी अभी हाल ही में दिनांक 20.09.2022 को होते ही आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 22.09.2022 को नकल प्राप्त करने पर प्रथम बार हुई तथा तारिख जानकारी से प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद पेश है फिर भी सावधानी के तौर पर मयाद माफी का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थना है कि प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आक्षेपित संपरिवर्तन आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में अपीलाण्ट की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाडा से आवासीय सम्परिवर्तन से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 25/1995 तलब की गयी एवं बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट अधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि संपरिवर्तन की कभी आवश्यकता नहीं रही एवं संपरिवर्तन में उल्लेखित शर्तो के अपालन के कारण अपीलाधीन आक्षेपित संपरिवर्तन आदेश व्यपगत हो चुका हैं। उक्त भूमि का वर्तमान में उपयोग भी कृषि के रूप में ही हो रहा है। अतः संपरिवर्तन आदेश दिनांक 19.06.1995 को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि संपरिवर्तन प्रार्थी के आवेदन पर किया गया है जो नियमानुसार है अतः अपील को निरस्त किया जाकर संपरिवर्तन आदेश को यथावत रखा जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत पेश की गई है। अपीलाण्ट्स द्वारा नकल प्राप्त करने पर जानकारी मे आना बताया है। जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की गई जो जो अन्दर मयाद प्रतीत होती है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

मूल प्रकरण एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाडा से आवासीय सम्परिवर्तन से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 25/1995 का अवलोकन किया। ग्राम बंजारिया की आ.न. 696 रकबा 0.15 है. मे से 500 वर्गमीटर भूमि का आवासिय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है। आवेदनकर्ता श्री नाथूलाल जी का स्वर्गवास हो चुका है उनके वारिस अपीलाण्ट्स ने अपील प्रस्तुत की है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2075–2078 मौजा बंजारिया की आराजी संख्या 696 रकबा 0.0450 है. आबादी दर्ज होकर खातेदार नाथूलाल पिता अमरा 1/2 हिस्सा एवं श्री रमेशचन्द्र पिता अमरा 1/2 हिस्सा दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलाण्ट का तर्क है कि उक्त भूमि के संपरिवर्तन की कभी आवश्यकता ही नहीं रही होने से संपरिवर्तन कराया गया है। मौके पर लगातार काश्त हो रही है जिसके समर्थन में सन [illegible], [illegible], 2014, 2015, 2017, 2020, 2022 के गुगल मैप की प्रति प्रस्तुत की जिसमें उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य होना नहीं पाया गया है। उक्त भूमि के संपरिवर्तन के पश्चात वर्तमान में आज दिनांक तक खातेदारों द्वारा संपरिवर्तन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:18 IST
Reason: SelfAttested

के शर्तो की पालना नहीं की गई है। लगातार काश्त करना बताया है भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करना बताया है जिसकी पुष्टि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत गूगल मेप से होती है। संपरिवर्तन आदेश दिनांक 19.06.1995 के कलम संख्या 11 के उपखण्ड ।। अनुसार संपरिवर्तित भूमि का आवासीय उपयोग करना आवश्यक था जबकि संपरिवर्तन आदेश की पालना में खातेदारों द्वारा आज दिनांक तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है एवं उक्त भूमि का कृषि उपयोग ही किया जाता रहा है। उल्लेखित शर्त के अपालन के कारण अपीलाधीन आक्षेपित संपरिवर्तन आदेश व्यपगत हो चुका है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाडा, जिला उदयपुर द्वारा जारी आवासीय रूपान्तरण आदेश क्रमांक एफ.–1( )राजस्व/95 दिनांक 19.06.1995 को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को पूर्ववत कृषि भूमि दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:18 IST
Reason: SelfAttested